

20.01.2025

वाकिल प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वाकिल समय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वाकिल व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा प्रार्थी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमाट होकर दृष्टिकर हो।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) जालोतरा